अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–अयोध्या–03

गोण्डा–फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोण्डा परिषद द्वारा नव विकसित की जा रही है। उक्त योजना में सामान्य मृदा का कार्य प्रगति में है तथा सड़क निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है एवं अन्य सेवाओं के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। उक्त योजना में भूखण्डों के पंजीकरण को खोले जाने हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है तथा मुख्य अभियन्ता (म0) के पत्रांक 3241/अभियन्त्रण अनुभाग/दिनांक 03.11.2020 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में योजना के ले–आउट में नियोजित प्रत्येक श्रेणी के लगभग 25 प्रतिशत भूखण्डों का संलग्न नक्शे के अनुसार पंजीकरण खोला जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित भूखण्डों में कार्नर के भूखण्डों को सम्मिलित नहीं किया गया है। पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित किये गये भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल लगभग 11288.00 वर्ग मीटर आता है, जिसका रेरा में पंजीकरण कराने हेतु रू0 61,500.00 की फीस देय होगी। उक्त योजना हेतु अनन्तिम विकसित भूमि दर रू0 14,900.00 प्रति वर्ग मी0 वृत्त कार्यालय के पत्रांक 115/एम–2/02, दिनांक 16.01.2021 द्वारा स्वीकृत है। वर्तमान में योजना के विकास कार्य प्रारम्भिक चरण में है तथा विभिन्न विकास कार्यों की लागत को मुख्यालय के पत्रांक 3133/एम–20/2020, दिनांक 26.10.2020 के क्रम में प्रति एकड़ की दर से आंकलित किया गया है। अतः वृत्त द्वारा स्वीकृत अनन्तिम भूमि दर रू0 14,900.00 प्रति वर्ग मी0 पर भूखण्डों का पंजीकरण खोला जाना उचित होगा।

अतः उल्लिखित टिप्पणी के क्रम में गोण्डा–फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोण्डा में संलग्न नक्शे के अनुसार 4.85 मी0 X 8.40 मी0 माप के 56 नग, 5.41 मी0 X 11.20 मी0 माप के 15 नग एवं 6.00 मी0 X 12.50 मी0 माप के 20 नग भूखण्डों का रेरा में पंजीकरण कराते हुए आदर्श पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार पंजीकरण खोले जाने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

Adil Beg
JE CD-3
AYODHYA

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–अयोध्या–03

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–अयोध्या–03

यथा प्रस्ताव अनुमोदित

16/01/21

अधीक्षण अभियन्ता
अयोध्या वृत्त

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

अभियंत्रण अनुभाग

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांक.- 3241 /अभियन्त्रण अनुभाग/ दिनांक.- 03/11/2020

सेवा में,

आवश्यक/महत्वपूर्ण

अधीक्षण अभियन्ता

अयोध्या/बुन्देलखण्ड/मेरठ/रूहेलखण्ड

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

अयोध्या/झाँसी/मेरठ/मुरादाबाद।

विषय:- परिषद योजनाओं में नवसृजित आवासीय भूखण्डों के पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आवास आयुक्त (म0) के निर्देशान्तर्गत अपने मण्डल के अधीन परिषद योजनाओं में नवसृजित आवासीय भूखण्डों के पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये जाते हैं।

1- पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रथम चरण में प्रत्येक श्रेणी के 25 प्रतिशत भूखण्ड ही प्रस्तावित किये जायें।

2- पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भूखण्डों में कार्नर के भूखण्ड सम्मिलित न किये जायें।

3- प्रस्तावित भूखण्डों की परियोजना का उ0प्र0 रेरा में पंजीयन तत्काल कराते हुए आदर्श पंजीकरण पुस्तिका के आधार पर पंजीकरण खोले जाने का प्रस्ताव यथाशीघ्र पंजीकरण अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय।

4- प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का भौतिक कब्जा समस्त सेवाओं सहित 03 वर्ष में दे दिया जाय।

Sri Adil / Sri Hemant Kumar (AE)

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 3-11-20

(आर0बी0 यादव)

मुख्य अभियन्ता

EE

पृ0सं0- 3241 /उक्त/ तददिनांक.- 03/11/2020

प्रतिलिपि:- निजी सचिव, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

(हस्ताक्षर) 3-11-20

मुख्य अभियन्ता

पत्रांक 55 / E2 / 37 दिनांक 3/11/2020

अधिशासी अभियन्ता

अयोध्या 01, 02, 03 एवं LKO 05

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव यथाशीघ्र वृत्त कार्यालय को प्रेषित करें।

(हस्ताक्षर)

03/XI/2020

SE

23

E.E